कार्यालय जिला परिषद, औरंगाबाद।

(अल्पकालीन आम सूचना)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, वैश्विक महामारी कोडिव–19 के संक्रमण के कारण सम्पूर्ण राज्य/देश में लॉकडाउन की वजह से औरंगाबाद जिला अन्तर्गत स्तम्भ 'क' एवं 'ख' में वर्णित निम्नलिखित अंचलो में पड़ने वाले बस स्टैण्ड एवं हाट बाजार की बन्दोवस्ती वर्ष 2020–21 के लिए जिला परिषद के औरंगाबाद के ज्ञापांक–190, 191 एवं 192 दिनांक– 19.03.2020 द्वारा आम सूचना प्रकाशित की गयी थी, परन्तु लॉकडाउन की विषम परिस्थति को देखते हुए विभिन्न बस स्टैण्डों एवं सौरातों की बन्दोवस्ती जिला परिषद के ज्ञापांक– 217 दिनांक– 26.03.2020 से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया था।

अतएवं विभिन्न सैरातो एवं बस स्टैण्डों की बन्दोवस्ती वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15 जूलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए खुली डाक से की जानी है। प्रस्तावित बन्दोवस्ती 01 अप्रैल 2020 जो 14 जुलाई तक, जो लॉकडाउन की वजह से बाधित रहा को छोडकर की जायेगी। सभी सैरातों की बन्दोवस्ती राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निहित प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। सभी सेरातों की बन्दोवस्ती अगर निर्धारित प्रथम तिथि को नहीं हो पाती है , तो उक्त परिस्थिति में उक्त सैरातों की बन्दोवस्ती अनुवर्ती तिथि भी निर्धारित की गई है। सभी सैरातों एवं बस स्टैण्डों की बन्दोवस्ती दिनांक – 11.07.2020 (अनुवर्ती तिथि– 13.07.2020 एवं 14.07.2020) समय 11.00 बजे पूर्वाह्न स्थान जिला परिषद सभागार में की जाएगी।

स्तंभ–क

क्र0सं0	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित राशि	प्रतिभूति राशि (सुरक्षित जमा का 20%)
1	औरंगाबाद	औरंगाबाद बस स्टैण्ड।	2901833.00	580366.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	834774.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	2067059.00	413412.00
2	गोह	गोह बस स्टैण्ड	529753.00	105950.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	152395.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	377358.00	75472.00
3	औरंगाबाद	जम्होर बस स्टैण्ड	596965.00	119393.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	171730.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	425235.00	85047.00
4	हसपुरा	हसपुरा बस स्टैण्ड	335436.00	67087.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	96495.00	

		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	238941.00	47788.00
5	रफीगंज	पौथु बस स्टैण्ड	121009.00	24201.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	34811.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	86198.00	17240.00
6	नबीनगर	टण्डवा बस स्टैण्ड	133573.00	26714.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	38425.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	95148.00	19030.00
		स्तंभ–ख		
1	बारूण	बारूण बाजार (रा0वि0 द्वारा हस्तान्तरित	379500.00	75900.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	109171.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	270329.00	54066.00
2	औरंगाबाद	जम्होर रेलवे स्टेशन पथ बाजार	266201.00	53240.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	76578.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	189623.00	37925.00
3	बारूण	ग्राम मेंह, नरारी खुर्द में गंजीयारी घास एवं मखाना की बन्दोवस्ती	284340.00	56868.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	81796.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	202544.00	40509.00
4	ओबरा	ओबरा बाजार (रा0वि0 द्वारा हस्तान्तरित	294214.00	58842.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	84637.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	209577.00	41915.00
5	ओबरा	खराटी पशु मेला (रा0वि0 द्वारा हस्तान्तरित	252425.00	50485.00

		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	72615.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	179810.00	35962.00
6	मदनपुर	शिवगंज बाजार (रा0वि0 द्वारा हस्तान्तरित	160030.00	32006.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	46036.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	113994.00	22799.00
7	रफीगंज	भदवा बाजार (रा0वि0 द्वारा हस्तान्तरित	151400.00	30280.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	43553.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	107847.00	21569.00
8	कुटुम्बा	अम्बा बाजार (रा0वि0 द्वारा हस्ता0)	130410.00	26082.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	37515.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	92895.00	18579.00
9	मदनपुर	मदनपुर बाजार (रा0वि0 द्वारा हस्तान्तरित	140650.00	28130.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	40461.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	100189.00	20038.00
10	गोह	गोह सब्जी बाजार	151743.00	30349.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	43652.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	108091.00	21618.00
11	नबीनगर	नबीनगर रेलवे स्टेशन पथ बाजार	96171.00	19234.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	27666.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	68505.00	13701.00
12	हसपुरा	देवहरा बाजार	67582.00	13516.00

		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	19441.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	48141.00	9628.00
			50826.00	10165.00
13	औरंगाबाद	फेसर बाजार		
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	14621.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	36205.00	7241.00
			53385.00	10677.00
14	हसपुरा	हसपुरा बाजार		
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	15357.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	38028.00	7606.00
			47452.00	9490.00
15	देव	देव बाजार (जि0प0 नियंत्रणाधीन)		
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	13651.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	33801.00	6760.00
			41803.00	8361.00
16	कुटुम्बा	अम्बा बाजार (जि0प0 नियंत्रणाधीन)		
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	12026.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	29777.00	5955.00
			39940.00	7988.00
17	औरंगाबाद	जम्होर बाजार		
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	11490.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	28450.00	5690.00
			27127.00	5425.00
18	रफीगंज	कासमा बाजार		
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	7804.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	19323.00	3865.00
			23585.00	4717.00
19	ओबरा	खुदवाँ बाजार		
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	6785.00	

		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	16800.00	3360.00
20	बारूण	सुन्दरगंज बाजार	21623.00	4325.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	6220.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	15403.00	3081.00
21	बारूण	चरण बाजार	19857.00	3971.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	5712.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	14145.00	2829.00
22	रफीगंज	जाखीम (कजपा) बाजार	932.00	186.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	268.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	664.00	133.00
23	देव	केताकी बाजार	476.00	95.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	137.00	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	339.00	68.00
24	देव	देव बाजार (रा० वि० हस्तां०)	349801.00	69960.00
		01.04.2020 से 14.07.2020 तक सामानुपातिक सुरक्षित राशि	10062[illegible]	
		वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष अवधि के लिए प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	249173.[illegible]	49835.00
25	औरंगाबाद	जम्होर बसंत पंचमी	152088.00	30418.00
26	बारूण	पुनपुन पितृपक्ष मेला भोपतपुर	129950.00	25990.00
27	नबीनगर	लेम्बोखाप सिन्दुरिया तालाब	75426.00	15085.00

बन्दोवस्ती की शर्ते निम्न प्रकार है :–

1 बन्दोवस्ती वर्ष 2020–21 (शेष अवधि के लिए दिनांक 15.07.2020 से 31.03.2021 तक) के लिए की जाएगी।

2 डाक में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को आवेदन के साथ सुरक्षित जमा राशि का 20 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, औरंगाबाद के पदनाम से होना चाहिए। पचास हजार से कम प्रतिभूति राशि नाजीर, जिला परिषद, औरंगाबाद के पास नकद जमा कर नाजीर रसीद संलग्न करना होगा।

सफल डाकवक्ता को डाक समाप्ति के उपरान्त उसी दिन उच्चतम डाक राशि शत प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा राशि जमा करने का साक्ष्य एन0आर0 के रूप में अथवा चेक के रूप में देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर जमा की गयी अग्रधन की राशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम डाकवक्ता को अवसर दिया जाएग। यह नियम द्वितीय एवं तृतीय डाकवक्ता पर लागू होगा।

4 असफल डाक वक्ताओं द्वारा जमा की गयी अग्रधन राशि डाक समाप्ति उपरान्त आवेदन प्राप्त होने पर वापस कर दी जाएगी।

5 बन्दोवस्ती मे वैसे व्यक्ति ही भाग ले सकते है, जो पूर्व के बकाएदार नहीं होगें।

6 वेश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के मद्देनजर बन्दोवस्ती में भाग लेने वाले डाकवक्ता को मास्क महनना तथा Social Distancing का पालन करना अनिवार्य होगा।

7 इच्छुक व्यक्ति संबंधित पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद से अपने आचरण एवं पूर्वकृत के संबंध में एक प्रमाण–पत्र एवं पहचान पत्र आवासीय पता सहित पस्तुत करेगें।

8 बन्दोवस्ती में भाग लेने वाले को किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र देना होगा।

9 उपरोक्त हाट बाजार/बस स्टैण्ड की बन्दोवस्ती वर्तमान में स्थित बस स्टैण्ड की जितनी जमीन है जैसी है उसी स्थिति के लिए की जाएगी और ग्राउन्ड रेन्ट की वसूली उतनी जगह के अन्दर ही की जाएगी।

10 उपरोक्त हाट बाजार/बस स्टैण्ड की जमीन को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा बस स्टैण्ड की साफ–सफाई एवं पानी की सारी व्यवस्था बन्दोवस्तधारी को ही अपने व्यय पर करना होगा और सैरात स्थल पर कोई भी राजनीतिक सभा बिना अनुमति के आयोजित नहीं की जाएगी।

11 सैरात की जमीन पर किसी भी प्रकार की निजी स्थाई संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा, इसे सुनिश्चित करना बन्दोवस्तीधारी की जिम्मेवारी होगी।

12 किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा बस स्टैण्ड में अस्थाई/स्थायी कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं होने दिया जायेगा। इसकी पूर्ण जवाबदेही बन्दोवस्तीधारी की होगी।

13 सैरातों की चुंगी वसूली पूर्व निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा वसूली हेतु स्वयं द्वारा रसीद छपवाना होगा, जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेगें। रेन्ट बोर्ड तालिका या अन्य सूचना, चापाकल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा बन्दोवस्तधारी को ही करनी होगी।

14 संक्रमण रोग या महामारी की स्थिति में बन्दोवस्तधारी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे सैरात स्थल की साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेगें। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

15 डाक समाप्ति के पश्चात् , सफल डाकवक्ता को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , पटना के पत्रांक– 605 दिनांक– 16.08.2018 के अनुसार उच्चतम डाक राशि का 6 प्रतिशत मुदांक शुल्क तथा निबंधन अधिनियम 1908 के अनुच्छेद A(3)(b) के अनुसार उच्चतम डाक राशि का 2 प्रतिशत की दर से निबंधन शुल्क डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी।

16 अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बन्दोवस्ती अस्वीकृत करने अथवा सैरातों की निलामी को निरस्त करने अथवा विभागीय प्रबंधन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

17 डाक वक्ता को स्वलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्ध सरकार का कोई वसूलनीय राशि बकाया नहीं हैं।

18 डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को विगत दो वर्षो यथा 2017–18 एवं 2018–19 का आयकर रिर्टन का प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।

19 आवेदनकर्ता को स्वयं डाक में भाग लेना होगा। निबंधित प्रतिष्ठान के मामले मं अधिकृत प्रतिनिधि डाक में भाग ले सकेगें।

(91)

बस पड़ाव में वाहनों से चूंगी वसूलने की दरो को निर्धारित करने का अधिकार मात्र अधोहस्ताक्षरी को होगा।

21 बन्दोवस्तदारी निम्नांकित स्वीकृत दरों के अनुसार ही चूंगी वसूलने के अधिकारी होगें, उसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वसूली नहीं करेगें।

22 चूंगी वसूली के सबूत में बन्दोवस्तदारी को स्वयं के खर्च से मुद्रित रसीद वाहन चालको को देना होगा। बस पड़ाव के अन्दर जिला परिषदीय दुकानों, कैन्टीन, शौचालय से चूंगी वसूली का अधिकार बन्दोवस्तधारी को नहीं होगा।

23 बन्दोवस्तदारी को बस पड़ाव की नियमित साफ सफाई स्वयं के खर्च के कराना होगा एवं किसी भी प्रकार के नई संरचना निर्माण करने का अधिकार बन्दोवस्तदारी को नहीं होगा।

27.6.2020

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, औरंगाबाद।

ज्ञापांक– 451 दिनांक– 27.6.2020

प्रतिलिपि– पूर्व के सभी प्रथम एवं द्वितीय डाकवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला अभियन्ता, जिला परिषद, औरंगाबाद/ सभी कनीय अभियन्ता, जिला परिषद, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं उन्हें आदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से व्यापक पैमाने पर प्रचार–प्रसार का कार्य करोयेगें।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी एवं संबधित सभी थाना प्रभारी , औरंगाबाद जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– नगर थाना, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्धारित तिथि को जिला परिषद कार्यालय में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सभी जिला परिषद सदस्यों को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/आरक्षी अधीक्षक, औरंगाबाद /अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं दाउदनगर/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं दाउदनगर एवं जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं उनसे अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालय सूचना पट्ट एवं जिले के वेवसाईट पर प्रकाशित कराने की कृपा करे।

27.6.2020

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, औरंगाबाद।

janardanD:\OFFICE WORK-2\dak - Copy (2)